



सब पढ़ें सब बढ़ें
राज्य परियोजना कार्यालय,

उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226 007

प्रेषक,

राज्य परियोजना निदेशक
उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद
राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ।

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
समस्त जनपद, उ०प्र०।

पत्रांक: गु०वि० / एस०सी०ई०आर०टी०-पाठ्यक्रम सुधार / 1947/2012-13 दि०(3) जुलाई, 2012

विषय:- पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकों में संभावित परिवर्तनों के संबंध में।

महोदय,

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत "निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009" पर आधारित SSA Framework for Implementation में अपेक्षा की गयी है कि आर०टी०ई०-2009 और एन०सी०एफ०-2005 को ध्यान में रखते हुए पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें पुनरीक्षित की जायें।

उक्त के संबंध में पाठ्यचर्या और पाठ्यपुस्तकों के पुनरीक्षण हेतु SSA Framework for Implementation में निम्नवत् मार्गदर्शी सुझाव दिये गये हैं :-

- पाठ्यचर्या के लक्ष्य और उद्देश्य स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले विषयों में अनिवार्यतः परिलक्षित होने चाहिए। इसलिए आर०टी०ई०-2009 और एन०सी०एफ०-2005 को ध्यान में रखते हुए पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम का पुनरावलोकन करना होगा।
- एन०सी०एफ०-2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों के आधार पर पाठ्यपुस्तकों की भाषा सरल एवं सुबोध हो। पाठ्यपुस्तकों की विषयवस्तु (Content) ऐसी हो, जो छात्रों को अवधारणाओं के बोध, सक्रिय खोज, विचारशील चिन्तन तथा स्वयं अपने या हमजोलियों के मूल्यांकन सहित समूहों में क्रियाकलाप करने के अवसर उपलब्ध कराके ज्ञान के निर्माण पर बल देती हो।
- पाठ्यपुस्तकें समता (Equity) और समावेशन (Inclusion) के सिद्धांत को सर्वोच्च प्राथमिकता देती हों और रुढ़िबद्ध धारणाओं को भंग करते हुए लैंगिक, जातिगत और

वर्गगत समानता, शांति, स्वास्थ्य तथा विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं से युक्त बच्चों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील ढंग से विचार करती हो।

तदनुसार आपसे अनुरोध है कि विषयवार सुयोग्य शिक्षकों के समूह गठित कर कक्षावार पाठ्य पुस्तकों के प्रत्येक पाठ का उपर्युक्त मार्गदर्शी सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण करायें तथा पाठ्यपुस्तकों में संभावित परिवर्तनों के संबंध में विस्तृत आख्या राज्य परियोजना कार्यालय, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, लखनऊ और उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद को दिनांक 31 अगस्त, 2012 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,



(अतुल कुमार)
राज्य परियोजना निदेशक

पृ०सं०: गु०वि० / एस०सी०ई०आर०टी०-पाठ्यक्रम सुधार / 1947 / 2012-13 तददिनांक।

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा, उ०प्र० शासन को बैठक दिनांक 23 जुलाई, 2012 के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. शिक्षा निदेशक (बेसिक) एवं अध्यक्ष, उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ०प्र०, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



(अतुल कुमार)
राज्य परियोजना निदेशक